कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 500 /ओबरा/33 दिनांक 26/08/ 2021.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज संख्या 0.00 से 61.50तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षो/पौधो के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 10.62हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षो/पौधो के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– इस कार्यालय के पत्रांक–153/ओबरा/15भू0हे0 दिनांक–17.07.2021, आपके कार्यालय का पत्रांक–392/मी0क्षे0/33 दिनांक–22.07.2021 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–314/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/ 59458/ 2020 दिनांक–28.07.2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का 10.62 हे0 तथा ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0, कुल 45.2925हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। प्रभावित होने वाले वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक–314/11–सी–एफ0पी0 /यू0पी0/रोड /59458/2020 दिनांक–28.07.2021 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए, इंगित कमियो का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक–273 /ओबरा/15 भू0हे0 दिनांक– 30.07.2021 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0 वाई0, खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र से अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने स्तर की आपत्ति का निरकरण करते हुए, अपने पत्र संख्या 1183/4सी दिनांक–10.08.2021 द्वारा प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर के कार्यालय का पत्रांक–424/33–1 दिनांक 19.08.2021 द्वारा अपने वन प्रभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः यूजर एजेन्सी का पत्र दिनांक–10.08.2021 व प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्र दिनांक–19.08.2021 के अनुसार, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निकारण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर	
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु निरीक्षण प्रमाण–पत्र में वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जो कि गलत है तथा क्षेत्रफल भी गलत अंकित किया गया है। अतः सही वैधानिक स्थिति एवं क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करे तथा आनलाईन भाग–2 में से पूर्व का डिलिट कर अपलोड करें।	संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 161 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग–2 में अपलोड भी कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में बाधक 194 वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग–2 के क्रमांक 4(ii) में 196 वृक्षो को अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही वृक्षो की संख्या आनलाईन भाग–2 के क्रमांक 4(ii) में अपलोड करें।	सही वृक्षो की संख्या आन लाईन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वन भूमि अंकित है, जो कि गलत है तथा एन0पी0वी0 की गणना गलत है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन अपलोड करें।	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 91–93 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
4	आनलाईन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड किया गया प्राक्कलन किसी अन्य प्रस्ताव का अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे आनलाईन भाग–2 से डिलिट कर प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित पूर्ण प्राक्कलन आनलाईन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सही एवं पूर्ण प्राक्कलन आन लाईन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग–2 के क्रमांक 13(ii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215–220 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet संलग्न है, किन्तु SoI Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग–2 के क्रमांक 13(iii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226–228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।

7	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 35–44 पर संलग्न कर दिया गया है।
8	आन लाईन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 के District Profile में विवरण भिन्न–भिन्न फीड किया गया है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही विवरण फीड करें।	आन लाईन भाग–2 में District Profile सही फीड कर दिया गया है।
9	आन लाईन पार्ट–1 एवं आन लाईन पार्ट–2 में अपरलोड किया गया त्रुटिपूर्ण गैर वन भूमि का Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet अपलोड करें तथा उसी को ही प्रस्ताव में संलग्न करें।	संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215–220 पर तथा SoI Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226–228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
	ओबरा वन प्रभाग	
1	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जो कि गलत है तथा एन0पी0वी0 की गणना गलत है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन अपलोड करें।	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 91–93 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
2	आनलाईन भाग–2 के कमांक–13(iv) में आधा अधूरा प्राक्कलन अपलोड किया गया है। जोकि गलत है। अतः पूर्ण प्राक्कलन आन लाईन भाग–2 के कमांक–13(iv) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सही एवं पूर्ण प्राक्कलन आन लाईन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग–2 के कमांक 13(ii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215–220 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet संलग्न है, किन्तु SoI Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग–2 के कमांक 13(iii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226–228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
5	आन लाईन भाग–2 के District Profile में जिले का वन क्षेत्रफल गलत फीड किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही क्षेत्रफल आन लाईन भाग–2 के District Profile में फीड करें।	आन लाईन भाग–2 में District Profile सही फीड कर दिया गया है।
6	आन लाईन पार्ट–1 एवं आन लाईन पार्ट–2 में अपरलोड किया गया त्रुटिपूर्ण गैर वन भूमि का Geo	संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215–220 पर तथा

	Referenced Digital Map व SoI Toposheet डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet अपलोड करें तथा उसी को ही प्रस्ताव में संलग्न करें।	SoI Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226–228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 4.2263हे0 गैर वन भूमि के Geo Referenced Digital Map एवं SoI Toposheet में गाटा संख्या 416क के स्थान पर 416 ही अंकित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही गाटा संख्या 416क अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map एवं SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	संशोधित Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 218 व 228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भी अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपको कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर व ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि का संशोधित समेकित प्रस्ताव चार–चार प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समेकित प्रस्ताव की तीन प्रति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या–500 **अ/समदिनांकित**

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C